

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 814वीं बैठक दिनांक 19.10.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 814वीं बैठक दिनांक 19.10.2023 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC अनुशंसित/ पोर्टल पर आवेदित	द्वारा परिवेश	प्राधिकरण का निर्णय
1.	संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज, जिला छिन्दवाड़ा			अनुशंसित		स्वीकृत
2.	संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज, जिला डिण्डौरी			अनुशंसित		स्वीकृत
3.	10418/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		स्वीकृत
4.	10419/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		स्वीकृत
5.	10417/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
6.	10426/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
7.	10415/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		स्वीकृत
8.	10416/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		स्वीकृत
9.	10427/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		स्वीकृत
10.	10405/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		स्वीकृत
11.	10421/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		स्वीकृत
12.	10420/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		स्वीकृत
13.	10429/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		स्वीकृत
14.	10430/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		स्वीकृत
15.	10433/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		स्वीकृत
16.	10432/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		स्वीकृत
17.	10428/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		स्पष्टीकरण एवं Delisted
18.	10605/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		स्वीकृत
19.	10598/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति		पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 814वीं बैठक दिनांक 19.10.2023
का कार्यवाही विवरण**

20.	10601/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
21.	10602/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
22.	10600/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
23.	10594/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
24.	10599/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
25.	10164/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
26.	10153/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
27.	10596/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
28.	10235/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
29.	10226/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
30.	10228/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
31.	10241/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
32.	10230/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
33.	10227/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
34.	10268/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
35.	10622/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
36.	10623/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
37.	10621/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
38.	10625/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
39.	10624/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
40.	10247/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
41.	10296/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
42.	10619/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
43.	10620/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
44.	10207/2023	1(a)	रेत खदान- खोदू भरू	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
45.	10210/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
46.	10208/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
47.	10216/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
48.	10189/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
49.	10194/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 814वीं बैठक दिनांक 19.10.2023
का कार्यवाही विवरण**

50.	10209/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
51.	10214/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
52.	10215/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
53.	10251/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
54.	10213/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
55.	10211/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
56.	10593/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
57.	10285/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
58.	10314/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
59.	10319/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
60.	9770/2023	5(f)	Manufacturing of Sulfonated Product	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण
61.	9546/2022	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
62.	9656/2022	1(a)	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
63.	9285/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत

1. संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज, जिला अलीराजपुर

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में अलीराजपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

जिले के खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अन्य जानकारी को समिति द्वारा मान्य किया गया एवं समिति ने निर्णय लिया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला- अलीराजपुर रेत खनिज (संशोधित) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु अनुशंसित उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित किया जाये।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में अनुशंसित कार्यवाही मान्य करते हुए उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की जाती है। सदस्य सचिव, SEAC के पत्र के साथ (ऑनलाईन/हार्डकॉपी) में एक सप्ताह की अवधि में प्राप्त होने के उपरांत सर्वसंबंधितों को सूचित किया जायेगा।

2. संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज, जिला दमोह

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में दमोह जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

समिति ने पाया कि खनिज अधिकारी के अनुसार रेत खनिज की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला, दमोह की 24 रेत खदानों के अक्षांश-देशांश के मिनट्स एवं सेकण्ड स्तर पर अंतर पाया गया एवं कुछ नवीन


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 814वीं बैठक दिनांक 19.10.2023
का कार्यवाही विवरण**

अक्षांश-देशांश में वृद्धि हुई है, तथा संदर्भित पत्र में जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन कराने का भी उल्लेख किया गया है।

समिति द्वारा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट –जिला दमोह (रेत खनिज) की वास्तविक जानकारी को मान्य करते हुए अनुमोदन हेतु सिया को अनुशंसा की जाती है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में अनुशंसित कार्यवाही मान्य करते हुए उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की जाती है। सदस्य सचिव, SEAC के पत्र के साथ (ऑनलाईन/हार्डकॉपी) में एक सप्ताह की अवधि में प्राप्त होने के उपरांत सर्वसंबंधितों को सूचित किया जायेगा।

3. प्रकरण क्र. 10418/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मेजय सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 978, ग्राम रामपुर-कमलापुर-माहुर, तहसील गुना, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

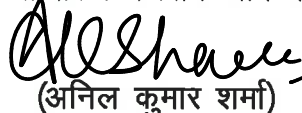
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से डाउन स्ट्रीम में न्यूनतम 1000 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "A buffer distance /un-mined block of 50 meters after every block of 1000 meters over which mining is undertaken or at such distance as may be the directed/prescribed by the regulatory authority shall be maintained. " अनुसार 1000 मीटर से अधिक लम्बी खदान में 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की


(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

- पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मेजय सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 978, ग्राम रामपुर-कमलापुर-माहुर, तहसील गुना, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

4. प्रकरण क्र. 10419/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मेजय सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 251, ग्राम बरखेड़ी (उकावद), तहसील आरोन, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मेजय सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 251, ग्राम बरखेड़ी (उकावद), तहसील आरोन, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

5. प्रकरण क्र. 10417/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मेजय सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 106, 107, ग्राम लहारघाट, तहसील गुना, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार शर्त पर अनुशंसा की गई है :-

".....इस संबंध में, परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। अतः परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया स्तर पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधानों के परिपालन में SEAC समिति द्वारा कोई जानकारी अगर संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है तो SEAC समिति द्वारा जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु स्पष्ट अनुशंसा की जाये। SEIAA में जानकारी प्रेषित किये जाने की शर्त पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा न की जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्र. 10426/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेन्द्र वाजपेयी, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 12,600 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 273, ग्राम बैरागढ़, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार शर्त पर अनुशंसा की गई है :-

".....इस संबंध में, परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। अतः परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया स्तर पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।....."


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधानों के परिपालन में SEAC समिति द्वारा कोई जानकारी अगर संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है तो SEAC समिति द्वारा जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु स्पष्ट अनुशंसा की जाये। SEIAA में जानकारी प्रेषित किये जाने की शर्त पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा न की जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 10415/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मेजय सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 324, ग्राम देवमढ़ी (जखोदा), तहसील आरोन, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

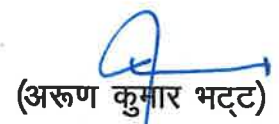
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मेजय सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 324, ग्राम देवमढ़ी (जखोदा), तहसील आरोन, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

8. प्रकरण क्र. 10416/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मेजय सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 196, ग्राम ढिमरयाई, तहसील आरोन, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान "A buffer distance /un-mined block of 50 meters after every block of 1000 meters over which mining is undertaken or at such distance as may be the directed/prescribed by the regulatory authority shall be maintained." अनुसार 1000 मीटर से अधिक लम्बी खदान में 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी ध्यान रखा जावे कि यह 50 मीटर का अंतर (नो माइनिंग जोन) नदी के मेंडरिंग वाले क्षेत्र में स्थापित किया जाये ताकि नदी का तट कटाव न हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।



(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मेजय सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 196, ग्राम ढिमरयाई, तहसील आरोन, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

9. प्रकरण क्र. 10427/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेन्द्र वाजपेयी, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 9,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.045 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम जोहद, तहसील नटेरन, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-



(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

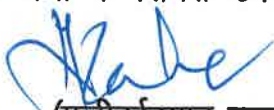
- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

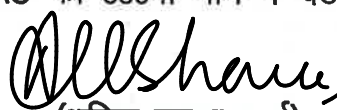
परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेन्द्र वाजपेयी, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 9,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.045 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम जोहद, तहसील नटेरन, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

10. प्रकरण क्र. 10405/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चन्देल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 12,600 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 180, ग्राम पारेघाट-1, तहसील सौसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चन्देल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 12,600 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 180, ग्राम पारेघाट-1, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

11. प्रकरण क्र. 10421/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चन्देल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1200 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम बिजोरीफुल्ला, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार खदान के अपस्ट्रीम में स्थित स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से न्यूनतम 450 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

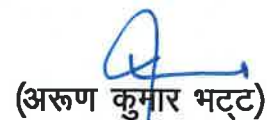
परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चन्देल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1200 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम बिजोरीफुल्ला, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व


(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

12. प्रकरण क्र. 10420/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चन्देल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1400 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम फुटेरा, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार 0.63 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माइनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

५. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चन्देल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1400 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम फुटेरा, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

13. प्रकरण क्र. 10429/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 89,514 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.973 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, 02, 03, ग्राम नवागांव, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "A buffer distance /un-mined block of 50 meters after every block of 1000 meters over which mining is undertaken or at such distance as may be the directed/prescribed by the regulatory


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

authority shall be maintained. " अनुसार 1000 मीटर से अधिक लम्बी खदान में 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी ध्यान रखा जावे कि यह 50 मीटर का अंतर (नो माइनिंग जोन) नदी के मेंडरिंग वाले क्षेत्र में स्थापित किया जाये ताकि नदी का तट कटाव न हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 89,514 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4. 973 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, 02, 03, ग्राम नवागांव, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

14. प्रकरण क्र. 10430/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 33,120 घनमीटर प्रतिवर्ष


(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

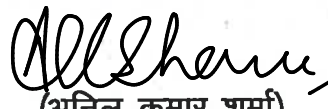
(SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.80 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 91, ग्राम भटिगवां, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान **"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"** अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 33,120 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.80 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 91, ग्राम भटिगवां, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

15. प्रकरण क्र. 10433/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 67,500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 15, ग्राम भुरसी, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 500 मीटर तक" नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 67,500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 15, ग्राम भुरसी, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

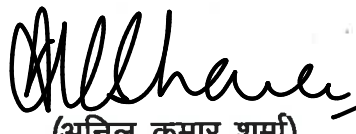
16. प्रकरण क्र. 10432/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 81,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 233, ग्राम बोडिडहा, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 81,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 233, ग्राम बोडिडहा, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

17. प्रकरण क्र. 10428/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजेन्द्र वाजपेयी, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 82, ग्राम बोथीघाट, तहसील कुरवई, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा के साथ निम्नानुसार अंकित किया गया.....

ग्राम पंचायत लचायरा जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-16 दिनांक 12/07/23 प्रस्तावित क्षेत्र में कोई रेत ओपिन स्थिति में नहीं है न ही मौके पर कोई खदान है। पूर्व में बीच नदी से पनडुब्बी द्वारा रेत का उत्खनन किया जाता रहा है, अतः ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना संभव नहीं है।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा अनुसार ग्राम पंचायत लचायरा जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव के संबंध में कलेक्टर, जिला विदिशा से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना उचित होगा अथवा नहीं ? तबतक प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18. प्रकरण क्र. 10605/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद धावई, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 20,800 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 162, ग्राम बल्लौर, तहसील चिचौली, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

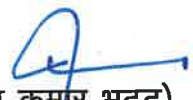
- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

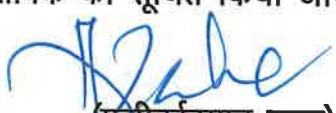
परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद धावई, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 20,800 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 162, ग्राम बल्लौर, तहसील चिचौली, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

19. प्रकरण क्र. 10598/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद धावई, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 5,670 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 0.860 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 78, ग्राम माथनी, तहसील बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार शर्त पर अनुशंसा की गई है :-

".....इस संबंध में, परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। अतः परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया स्तर पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधानों के परिपालन में SEAC समिति द्वारा कोई जानकारी अगर संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है तो SEAC समिति द्वारा जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु स्पष्ट अनुशंसा की जाये। SEIAA में जानकारी प्रेषित किये जाने की शर्त पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा न की जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

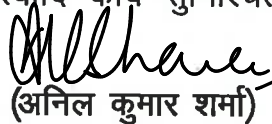
20. प्रकरण क्र. 10601/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री रमेश भूमरकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, 11, 56, ग्राम अमोदा, तहसील दमोह, जिला दमोह (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

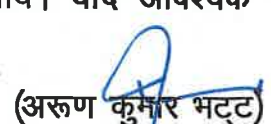
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार 2.19 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माईनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री रमेश भूमरकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, 11, 56, ग्राम अमोदा, तहसील दमोह, जिला दमोह (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

21. प्रकरण क्र. 10602/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री रमेश भूमरकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम बरी, तहसील दमोह, जिला दमोह (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

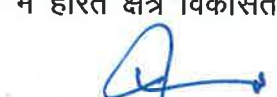
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार 2.91 हेक्टेयर क्षेत्र पर ही खनन कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो माइनिंग जोन का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना (रेत पुर्नभरण अध्ययन सहित) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री रमेश भूमरकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम बरी, तहसील दमोह, जिला दमोह (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

22. प्रकरण क्र. 10600/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री रमेश भूमरकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 4,400 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम डांडी, तहसील हटा, जिला दमोह (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री रमेश भूमरकर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 4,400 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम डांडी, तहसील हटा, जिला दमोह (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

23. प्रकरण क्र. 10598/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद धावई, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2,346 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

द्वारा अनुशंसित), रकबा 0.170 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 79, ग्राम आमढाना, तहसील घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार शर्त पर अनुशंसा की गई है :-

".....इस संबंध में, परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। अतः परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया स्तर पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधानों के परिपालन में SEAC समिति द्वारा कोई जानकारी अगर संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है तो SEAC समिति द्वारा जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु स्पष्ट अनुशंसा की जाये। SEIAA में जानकारी प्रेषित किये जाने की शर्त पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा न की जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

24. प्रकरण क्र. 10599/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद धाबई, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम बिशनपुर, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

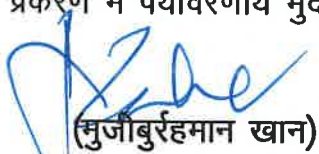
- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

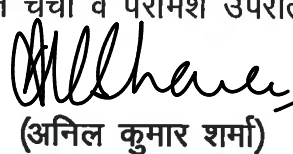
परियोजना प्रस्तावक दि. म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद धाबई, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 27,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम बिशनपुर, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

25. प्रकरण क्र. 10164/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हे0, खसरा क्रमांक 767, 1114, ग्राम निगौरा/गोधन, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 671वीं बैठक दिनांक 24.08.2023 एवं 686वीं भाग-1 बैठक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 806वीं बैठक दिनांक 21.09.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 86 मीटर पर एक मेजर ब्रिज (लगभग 113 मीटर लम्बा) परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

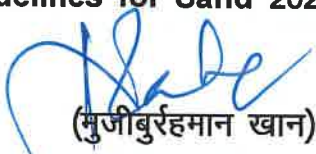
26. प्रकरण क्र. 10153/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 8474 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.64 हे0, खसरा क्रमांक 1282, ग्राम बिछौंदना, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

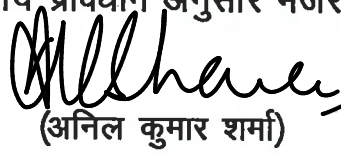
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 670वीं बैठक दिनांक 23.08.2023 एवं 686वीं भाग-1 बैठक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

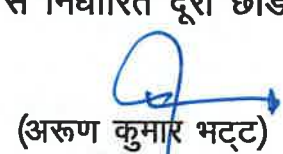
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 806वीं बैठक दिनांक 21.09.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

" परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 390 मीटर पर एक स्टेट हाईवे मेजर ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार स्टेट हाईवे मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

27. प्रकरण क्र. 10596/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरीशंकर शुक्ला, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 39,600 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 685, ग्राम कामता, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार शर्त पर अनुशंसा की गई है :-

".....इस संबंध में, परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। अतः परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया स्तर पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधानों के परिपालन में SEAC समिति द्वारा कोई जानकारी अगर संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है तो SEAC समिति द्वारा जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु स्पष्ट अनुशंसा की जाये। SEIAA में जानकारी प्रेषित किये जाने की शर्त पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा न की जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

28. प्रकरण क्र. 10235/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लाल लक्षकार, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 63,030 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.202 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 209/1, ग्राम मोवाड़, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 675वीं बैठक दिनांक 08.09.2023 एवं 686वीं भाग-1 बैठक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 808वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

" परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 150 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

29. प्रकरण क्र. 10226/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लाल लक्षकार, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 64,500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.30 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 457, ग्राम जरामोहगांव, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वीं बैठक दिनांक 01.09.2023 एवं 686वीं भाग-1 बैठक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 808वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

" परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 450 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

30. प्रकरण क्र. 10228/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लाल लक्षकार, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 54,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 21/1, ग्राम छिंदलई, तहसील लालबर्वा, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वीं बैठक दिनांक 01.09.2023 एवं 686वीं भाग-1 बैठक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 808वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

" परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 473 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रणीत किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

31. प्रकरण क्र. 10241/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लाल लक्षकार, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 29,400 घनमीटर प्रतिवर्ष



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.90 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 208, ग्राम गजपुर, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 675वीं बैठक दिनांक 08.09.2023 एवं 686वीं भाग-1 बैठक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 808वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

" परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 360 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

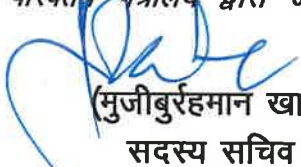
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

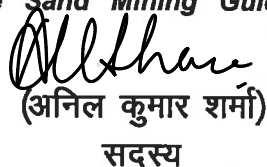
32. प्रकरण क्र. 10230/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लाल लक्षकार, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 31,260 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.90 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 397, ग्राम ददिया, तहसील लालबर्वा, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

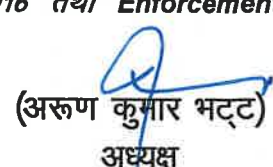
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वीं बैठक दिनांक 01.09.2023 एवं 686वीं भाग-1 बैठक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 808वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

" परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 720 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

33. प्रकरण क्र. 10227/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लाल लक्षकार, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 16,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 957, ग्राम धपेरा, तहसील लालबर्गा, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वीं बैठक दिनांक 01.09.2023 एवं 686वीं भाग-1 बैठक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 808वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

" परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 342 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

34. प्रकरण क्र. 10268/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लाल लक्षकार, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 17,492 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.458 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 345/1, ग्राम खापा, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 675वीं बैठक दिनांक 08.09.2023 एवं 686वीं भाग-1 बैठक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 808वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

" परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 352 मीटर पर नहर (एक्वाडक्ट) एवं 610 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार नहर (एक्वाडक्ट) एवं मेजर ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

35. प्रकरण क्र. 10622/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर तोमर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 11,400 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 656, ग्राम अजितपुर, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर तोमर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 11,400 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 656, ग्राम अजितपुर, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

36. प्रकरण क्र. 10623/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर तोमर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 5,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 818, ग्राम डिडोल, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार शर्त पर अनुशंसा की गई है :-

".....परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।....."

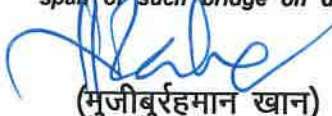
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधानों के परिपालन में SEAC समिति द्वारा कोई जानकारी अगर संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है तो SEAC समिति द्वारा जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु स्पष्ट अनुशंसा की जाये। SEIAA में जानकारी प्रेषित किये जाने की शर्त पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा न की जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

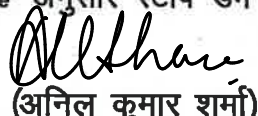
37. प्रकरण क्र. 10621/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर तोमर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 8,700 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 971, 1011, ग्राम दिगोनी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

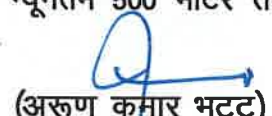
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से न्यूनतम 500 मीटर तक" नो


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

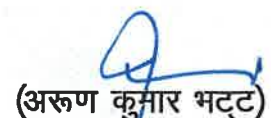
- माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर तोमर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 8,700 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 971, 1011, ग्राम दिगोनी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

38. प्रकरण क्र. 10625/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर तोमर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 12,960 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 89, 658, ग्राम नारायणपुरा, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

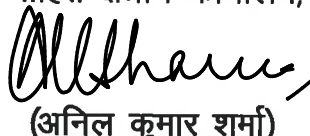
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 814वीं बैठक दिनांक 19.10.2023
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से न्यूनतम 250 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले ग्राम पंचायत भवन से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर तोमर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 12,960 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 89, 658, ग्राम नारायणपुरा, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

39. प्रकरण क्र. 10624/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री बलवीर तोमर, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7,500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.10 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 306/1, ग्राम रामपुर, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार शर्त पर अनुशंसा की गई है :-

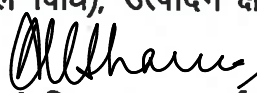
".....परियोजना प्रस्तावक/माइनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माइनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माइनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधानों के परिपालन में SEAC समिति द्वारा कोई जानकारी अगर संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है तो SEAC समिति द्वारा जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु स्पष्ट अनुशंसा की जाये। SEIAA में जानकारी प्रेषित किये जाने की शर्त पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा न की जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

40. प्रकरण क्र. 10247/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री योद्धासिंह उमरे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 16,080 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC


(मुजीबुरहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 971, ग्राम ढोंगा, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 676वीं बैठक दिनांक 11.09.2023 एवं 686वीं भाग-2 बैठक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 808वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

" परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 475 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये। "

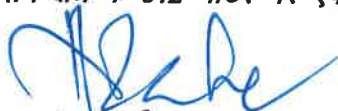
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार मेजर रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

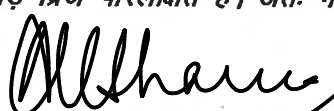
41. प्रकरण क्र. 10296/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री योद्धासिंह उमरे, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 21,178 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 135/219, ग्राम चकुआर, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 676वीं बैठक दिनांक 11.09.2023 एवं 686वीं भाग-2 बैठक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 808वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

" परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 512 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रोषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार मेजर रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

42. प्रकरण क्र. 10619/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद धाबई, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 42,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 19, ग्राम गुवाड़ी, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन सक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद धाबई, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 42,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 19, ग्राम गुवाड़ी, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

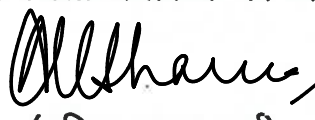
43. प्रकरण क्र. 10620/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद धाबई, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25,200 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 209, ग्राम टांगनामाल, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसमा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन सक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

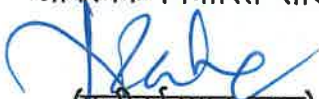
परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद धाबई, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25,200 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 209, ग्राम टांगनामाल, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

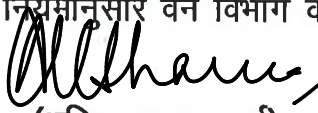
44. प्रकरण क्र. 10207/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान-खोदू भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,400 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.665 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 2/16, 2/17, 2/14, ग्राम रहेडकोट, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-सी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

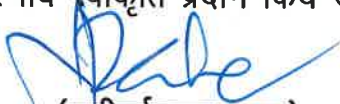
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

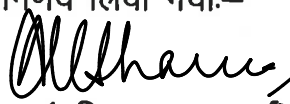
परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान-खोदू भरू (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,400 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.665 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 2/16, 2/17, 2/14, ग्राम रहेडकोट, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

45. प्रकरण क्र. 10210/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.36 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 205, 136, ग्राम जाहूर, तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। SEAC की अनुशंसा अनुसार खदान क्षेत्र ना तो 02 भागों में विभक्त है। और न ही पूर्व दिशा में 72 मी अपस्ट्रीम में रोड़ ब्रिज स्थित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.36 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 205, 136, ग्राम जाहूर, तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

46. प्रकरण क्र. 10208/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1007, ग्राम पलसड़, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार शर्त पर अनुशंसा की गई है :-

".....परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।.....”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधानों के परिपालन में SEAC समिति द्वारा कोई जानकारी अगर संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है तो SEAC समिति द्वारा जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु स्पष्ट अनुशंसा की जाये। SEIAA में जानकारी प्रेषित किये जाने की शर्त पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा न की जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

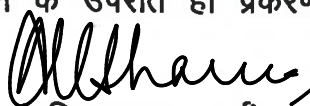
47. प्रकरण क्र. 10216/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 245, ग्राम पाटी, तहसील पाटी, जिला बड़वानी (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार शर्त पर अनुशंसा की गई है :-

“.....परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।.....”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधानों के परिपालन में SEAC समिति द्वारा कोई जानकारी अगर संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है तो SEAC समिति द्वारा जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु स्पष्ट


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अनुशंसा की जाये। SEIAA में जानकारी प्रेषित किये जाने की शर्त पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा न की जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

48. प्रकरण क्र. 10189/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 12500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 705, ग्राम डोंडवारा, तहसील निवाली, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार शर्त पर अनुशंसा की गई है :-

".....परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधानों के परिपालन में SEAC समिति द्वारा कोई जानकारी अगर संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है तो SEAC समिति द्वारा जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु स्पष्ट अनुशंसा की जाये। SEIAA में जानकारी प्रेषित किये जाने की शर्त पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा न की जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

49. प्रकरण क्र. 10194/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.205 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 190, ग्राम निसारपुर, तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार शर्त पर अनुशंसा की गई है :-

".....परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधानों के परिपालन में SEAC समिति द्वारा कोई जानकारी अगर संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है तो SEAC समिति द्वारा जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु स्पष्ट अनुशंसा की जाये। SEIAA में जानकारी प्रेषित किये जाने की शर्त पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा न की जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

50. प्रकरण क्र. 10209/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 600 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.344 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम खजूरी, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार शर्त पर अनुशंसा की गई है :-

".....परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।....."


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधानों के परिपालन में SEAC समिति द्वारा कोई जानकारी अगर संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है तो SEAC समिति द्वारा जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाये। SEIAA में जानकारी प्रेषित किये जाने की शर्त पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा न की जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

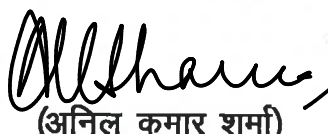
51. प्रकरण क्र. 10214/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 800 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम पाड़ला, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार स्टॉप डेम स्ट्रक्चर सह पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

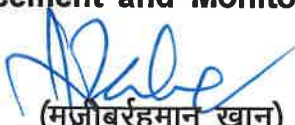
परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 800 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 01, ग्राम पाड़ला, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

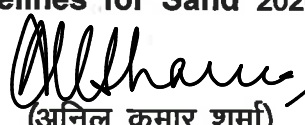
52. प्रकरण क्र. 10215/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 800 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.023 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 47, ग्राम कोयडिया, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

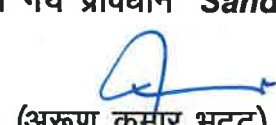
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

“परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 100 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान Sand and


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है एवं उक्त खदान तीन भागों में विभक्त होना परिलक्षित नहीं है प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

53. प्रकरण क्र. 10251/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.346 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 76/1, ग्राम मोरगन, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के बीचों-बीच में एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान **Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"** अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

54. प्रकरण क्र. 10213/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 489, ग्राम सेमली, तहसील पाटी, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 489, ग्राम सेमली, तहसील पाटी, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

55. प्रकरण क्र. 10211/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 700 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 158/1, ग्राम मुजला (भुलगांव), तहसील निवाली, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 700 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 158/1, ग्राम मुजला (भुलगांव), तहसील निवाली, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

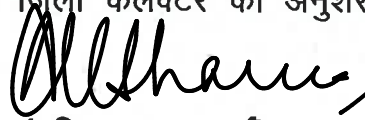
56. प्रकरण क्र. 10593/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद धावई, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 8019 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 0.550 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 02, ग्राम गांधीग्राम, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 500 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद धावई, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 8019 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 0.550 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 02, ग्राम गांधीग्राम, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसकी वैधता **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

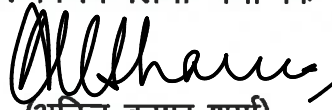
57. प्रकरण क्र. 10285/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद सक्सेना, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 68400 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 688, ग्राम गुलीडांड, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

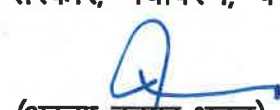
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वीं भाग-2 बैठक दिनांक 05.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार शर्त पर अनुशंसा की गई है :-

".....परियोजना प्रस्तावक/माइनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर स्वीकृति हेतु विचारार्थ सिया में प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिससे रेत खनन कार्य होने से ब्रिज की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परियोजना प्रस्तावक/माइनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माइनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर अभिमत प्राप्त किया जावेगा तथा सीधे सिया को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभिमत के परिप्रेक्ष्य में सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अंतिम निर्णय लिया जाना अनुशंसित है।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधानों के परिपालन में SEAC समिति द्वारा कोई जानकारी अगर संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है तो SEAC समिति द्वारा जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति हेतु स्पष्ट अनुशंसा की जाये। SEIAA में जानकारी प्रेषित किये जाने की शर्त पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा न की जाये। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

58. प्रकरण क्र. 10314/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री सुभाष चन्द्र कर्णावत, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 8100 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 463, ग्राम कोडली, तहसील अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

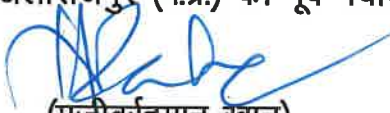
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 677वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 एवं 686वीं भाग-1 बैठक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

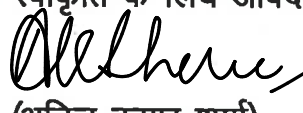
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 808वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 375 मीटर पर एक पक्का मेजर रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार मेजर रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार मेजर रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

59. प्रकरण क्र. 10319/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री सुभाषचन्द्र कर्णावत, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2400 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 420, ग्राम गुड़ा, तहसील अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 677वीं बैठक दिनांक 12.09.2023 एवं 686वीं भाग-1 बैठक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 808वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 506 मीटर पर एक पक्का मेजर रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान 'Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side' अनुसार मेजर रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान अनुसार मेजर रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

60. **Case No 9770/2023:** Prior Environment Clearance for Capacity expansion of 44490 TPA (Existing 12250 TPA and proposed 32240 TPA) and Diversification in Manufacturing of Sulfonated Product at Plot No. 24A, Mandideep Industrial Area, Tehsil- Gauharganj, District- Raisen (MP) by Shri Sukumar Kaliyaperumal, GM, M/s Standard Surfactants NTS Ltd., 8/15, Arya Nagar, Kanpur (UP)-208002 Email:- gmoperations @ standardsurfactants.com Mob: 9791178117

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686 वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया कि चूंकि परियोजना परियोजना में सल्फर का उपयोग एवं सल्फियूरिक एसिड उत्पाद का निर्माण किया जाना है जो काफी हानिकारक होता है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा इसके उचित प्रबंधन हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है इसके प्रस्तावित व्यवस्था के स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।

61. प्रकरण क्र 9546/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दीप श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., निदेशक, श्री लीलाधर वर्मा, निवासी फ्लेट नं. 402, सुखदाम अपार्टमेंट 16, मधुबन कॉलोनी, आ.टी.ओ रोड़, इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एंड एम सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 12000 व एम


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

सेण्ड 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 33/1/4/3/1, ग्राम रावद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वी भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण में SEAC की अनुशंसा "प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।" अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में DEIAA/SEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में जिला कलेक्टर, इन्दौर एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये एवं प्रतिलिपि सदस्य सचिव, SEAC को भी प्रेषित की जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 686वी भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 08 वृक्षों में से काटे जाने वाले 05 पेड़ों के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 50 पौधों का संरक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के संरक्षण हेतु ट्रि-गार्ड लगाये जायें।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दीप श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., निदेशक, श्री लीलाधर वर्मा, निवासी फ्लेट नं. 402, सुखदाम अपार्टमेंट 16, मधुबन कॉलोनी, आ.टी.ओ रोड, इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एंड एम सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 12000 व एम सेण्ड 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 33/1/4/3/1, ग्राम रावद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर(म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) इन्दौर के पत्र क्र. 1507 दिनांक 16.08.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.08.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

62. प्रकरण क्र. 9656/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रावत मिनरल्स, प्रो. श्री अकाश रावत, निवासी-पुरानी बस्ती, जलपा देवी वार्ड, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16854 टन प्रतिवर्ष एवं सेलेबल वेस्ट 6360 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.370 हेक्टेयर, खसरा नं. 116, 117, 118, ग्राम मल्हान, तहसील बडवारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वी भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा निम्नलिखित शर्त सहित की गई है :-

खदान क्षेत्र के कुल रकबे में से कुछ भाग जनजाति समुदाय का है। उक्त जमीन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-स्वामी के साथ हुये सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि, जिलाध्यक्ष महोदय के स्तर पर इस आशय का परीक्षण भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत इस प्रकार के प्रकरणों में किये गये उपबंधों/प्रावधानों के अनुरूप किया जावे। खनन कार्य से प्रति एकड़ प्रति वर्ष समस्त व्यय कम करने के पश्चात कुल शुद्ध आय कितनी होगी, एवं उसी के आधार पर लाभ हानि को देखते हुये भूमि धारक को देय राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 19.10.2020 के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर कटनी की प्रस्तुत कार्यवाही में ना तो प्रकरण क्रमांक एवं दिनांक नहीं है और न ही भू-स्वामियों के हस्ताक्षर हैं तथा कार्यवाही में भू-स्वामी भूमि का विक्रय नहीं किये


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

जाने का उल्लेख है जबकि प्रस्तुत दस्तावेज में भू-स्वामी का विक्रय पत्र संलग्न है जिसमें राशि का विवरण दिया गया है। चूंकि दोनों ही दस्तावेज विरोधाभास है। अतः कलेक्टर कटनी के समक्ष परियोजना प्रस्तावक एवं भू-स्वामी उपस्थिति होकर भू-स्वामी की सहमति को कलेक्टर कटनी से अभिप्रमाणित करवाकर एवं सही जानकारी सहित प्रस्तुत करें। तबतक प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

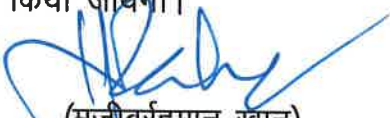
63. प्रकरण क्र. 9285/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री आशुतोष मिश्रा आत्मज श्री कृष्णा प्रसाद मिश्रा निवासी- 138/41ए, 31/2ए, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 19000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 19, 86, ग्राम हरहा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वी भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण में SEAC की अनुशंसा "प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।" अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में DEIAA/SEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में जिला कलेक्टर, रीवा एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये एवं प्रतिलिपि सदस्य सचिव, SEAC को भी प्रेषित की जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 686वी भाग-1 बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों का काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

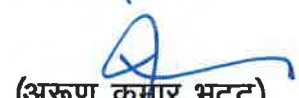

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक श्री आशुतोष मिश्रा आत्मज श्री कृष्णा प्रसाद मिश्रा निवासी- 138/41ए, 31/2ए, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 19000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 19, 86, ग्राम हर्रहा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के पत्र क्र. 5553 दिनांक 25.04.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.04.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

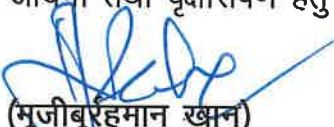

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

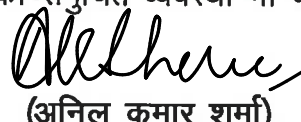

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छा:माही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
2. संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।
3. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारों ओर की जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चारों ओर पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
9. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

12. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
17. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
23. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
24. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

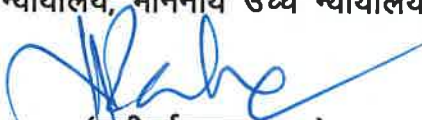
खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :-

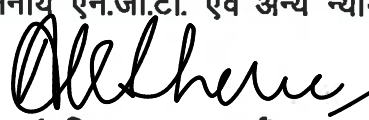
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
26. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट-2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन कराकर SEIAA एवं SEAC के अनुमोदन उपरांत ही किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव एवं भराव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जावे।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलभराव क्षेत्र को गैर-खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा जायेगा।
7. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ) की दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व प्रस्तावित हरित संरक्षण हेतु फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
11. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
14. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
16. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
21. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
24. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
27. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
28. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

SEAC द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें :-

29. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
30. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.

31. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
32. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
33. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
34. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
35. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
36. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.

परिशिष्ट-3

गौण खनिज (खोदू भरू रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन कराकर SEIAA एवं SEAC के अनुमोदन उपरांत ही किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

5. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व प्रस्तावित हरित संरक्षण हेतु फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
8. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
11. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
15. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

18. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
21. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
22. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगें के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

SEAC द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें :-

23. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
24. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
25. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
26. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
27. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

28. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
29. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष